प्रति,

जन सूचना अधिकारी
कार्यालय नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान
इन्द्रावती भवन, ब्लाकृ-दो, तृतीय तल
अटल नगर नवा रायपुर (छ.ग.)

विषयः सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी प्रदान करने बाबत् ।

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मुझे आपके विभाग से संबंधित निम्न सूचना का आवश्यकता है

छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त शासकीय एवं अशासकीय चिकित्सालय में उपयोग होने वाले समस्त इलेक्ट्रानिक तौल उपकरणों का सत्यापन प्रमाण पत्र व सुधारक द्वारा जारी बिल बुक (गेट पास) की सत्यापित छायाप्रति जनवारी 2025 से दिसम्बर 2025 तक ।

अतः महोदय जी उक्त आवेदन हेतु मेरे द्वारा रू. 10/- (69F412910 .....) के माध्यम से जमा कर रहा हूं ।

दिनांक-05/01/2026

आवेदक

संलग्न-
1) पोस्टल आर्डर क्र.69F412910 राशि 10/- रू.

जितेन्द्र कुमार जायसवाल
पता-नेहरू नगर, डीगमा,
अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)
मो.नं.-9424262547
मो.नं.-9303890212

कार्यालय नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान, छत्तीसगढ़
द्वावती भवन, ब्लॉक–दो, तृतीय तल, नवा अटल रायपुर नगर (छ.ग.)

2 /सू.अधि./2026 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12/01/2026

समस्त जनसूचना अधिकारी
सहायक नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान,
छत्तीसगढ़

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् जानकारी प्रदान करने बाबत्।

संदर्भ :– जितेन्द्र कुमार जायसवाल का पत्र प्राप्ति दिनांक 08.1.2026 एवं 09.01.2026 के संबंध में।

उपरोक्त विषयातर्गत जितेन्द्र कुमार जायसवाल, नेहरू नगर, डिगमा, अम्बिकापुर द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत् अलग–अलग 30 आवेदन पत्रों के साथ सूचना चाही गई है, जो आपके कार्यालयों से संबंधित है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6, के नियम 3, के तहत, जो लोक प्राधिकारी जिसको ऐसा आवेदन किया जाता है। ऐसे आवेदन या उसके ऐसे भाग को समूचित हो उसका अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित करेगा। उक्त संबंधित सूचना आपके अधीनस्थ निरीक्षक कार्यालयों से संबंधित है।

अतः चाही गई सूचना सीधे आवेदक को निर्धारित समय अवधि में उपलब्ध करावें एवं इस कार्यालय को सूचित करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(श्रीमती शिवकुमारी सैनिक)
जनसूचना अधिकारी
अधीक्षक
विधिक मापविज्ञान, छत्तीसगढ़
नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर दिनांक 12/01/2026

पृ. क्रमांक 13
प्रतिलिपि :–

1. जितेन्द्र कुमार जायसवाल, नेहरू नगर, डिगमा, अम्बिकापुर जिला–सरगुजा (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।

(श्रीमती शिवकुमारी सैनिक)
जनसूचना अधिकारी
अधीक्षक
विधिक मापविज्ञान, छत्तीसगढ़
नवा रायपुर अटल नगर

संलग्नः–

01. मेरा आवेदन दिनांक 05/01/2026
02. जनसूचना अधिकारी अधीक्षक का पत्र क्र. 12 दिनांक 12–01–2026
03. जनसूचना अधिकारी जगदलपुर द्वारार जारी पत्र क्र. 58 दिनांक 27–01–2026
04. प्रथम अपील हेतु 50/– पोस्टल आर्डर क्र. 69F 533447 / 206 025093 / 206 025094 50

दिनांक – 11-02-2026

अपीलार्थी

जितेन्द्र कुमार जायसवाल
भारत सम्मान न्यूज नेटवर्क
नेहरु नगर डीगमा
अम्बिकापुर, सरगुजा छ.ग.497001
मो.–9424262547, 9303890212

पंजीकृत

कार्यालय सहायक नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान, रायपुर (छ0ग0)

बी–16, सेक्टर–2 अटल नगर, रायपुर फोन–0771–3503653
E-Mail ID : acimpr.cg@gmail.com 492013

क्रमांक 91 /विमा./सू.अधि./2026 रायपुर, दिनांक 05/02/2026

प्रति,

जितेन्द्र कुमार जायसवाल,
नेहरू नगर, डिगमा अम्बिकापुर छ0ग0।

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने बाबत।
संदर्भः– कार्यालय नियंत्रक विधिक मापविज्ञान, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर का क्र. 58 GENCOR/2026 /वि.मा./सू.अधि./2026 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 13.01.202

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुसार आपके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 30 अलग–अलग आवेदन पत्रों के संदर्भ में चाही गई सूचना कुल 8435 पृष्ठो मे है जो निम्नानुसार हैः–

(01) आवेदन पत्र क्रमांक 01 के अनुसार चाही गई सूचना निरंक है।
(02) आवेदन पत्र क्रमांक 02 के अनुसार चाही गई सूचना 80 पृष्ठों की है।
(03) आवेदन पत्र क्रमांक 03 के अनुसार चाही गई सूचना 81 पृष्ठों की है।
(04) आवेदन पत्र क्रमांक 04 के अनुसार चाही गई सूचना 50 पृष्ठों की है।
(05) आवेदन पत्र क्रमांक 05 के अनुसार चाही गई सूचना 20 पृष्ठों की है।
(06) आवेदन पत्र क्रमांक 06 के अनुसार चाही गई सूचना 1514 पृष्ठों की है।
(07) आवेदन पत्र क्रमांक 07 के अनुसार चाही गई सूचना 1635 पृष्ठों की है।
(08) आवेदन पत्र क्रमांक 08 के अनुसार चाही गई सूचना 1627 पृष्ठों की है।
(09) आवेदन पत्र क्रमांक 09 के अनुसार चाही गई सूचना 116 पृष्ठों की है।
(10) आवेदन पत्र क्रमांक 10 के अनुसार चाही गई सूचना 107 पृष्ठों की है।
(11) आवेदन पत्र क्रमांक 11 के अनुसार चाही गई सूचना 38 पृष्ठों की है।
(12) आवेदन पत्र क्रमांक 12 के अनुसार चाही गई सूचना 40 पृष्ठों की है।
(13) आवेदन पत्र क्रमांक 13 के अनुसार चाही गई सूचना 120 पृष्ठों की है।
(14) आवेदन पत्र क्रमांक 14 के अनुसार चाही गई सूचना 120 पृष्ठों की है।
(15) आवेदन पत्र क्रमांक 15 के अनुसार चाही गई सूचना 142 पृष्ठों की है।
(16) आवेदन पत्र क्रमांक 16 के अनुसार चाही गई सूचना 199 पृष्ठों की है।
(17) आवेदन पत्र क्रमांक 17 के अनुसार चाही गई सूचना 192 पृष्ठों की है।
(18) आवेदन पत्र क्रमांक 18 के अनुसार चाही गई सूचना 221 पृष्ठों की है।
(19) आवेदन पत्र क्रमांक 19 के अनुसार चाही गई सूचना निरंक है।
(20) आवेदन पत्र क्रमांक 20 के अनुसार चाही गई सूचना निरंक है।
(21) आवेदन पत्र क्रमांक 21 के अनुसार चाही गई सूचना निरंक है।
(22) आवेदन पत्र क्रमांक 22 के अनुसार चाही गई सूचना 642 पृष्ठों की है।
(23) आवेदन पत्र क्रमांक 23 के अनुसार चाही गई सूचना 553 पृष्ठों की है।
(24) आवेदन पत्र क्रमांक 24 के अनुसार चाही गई सूचना 480 पृष्ठों की है।
(25) आवेदन पत्र क्रमांक 25 के अनुसार चाही गई सूचना 455 पृष्ठों की है।

प्रति,

माननीय प्रथम अपीलीय अधिकारी
श्री. बी. आर. सिदार
उपनियंत्रक, विधिक माप विज्ञान
इन्द्रावती भवन ब्लॉक–2
तृतीय तल नवा रायपुर
अटल नगर (छ0ग0) 492101

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के अन्तर्गत प्रथम अपील छ.ग. राज्य के समस्त शासकीय एवं अशासकीय चिकित्सालय में उपयोग होने वाले समस्त इलेक्ट्रॉनिक तौल उपकरणों से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना प्रदान न किए जाने के संबंध में।

संदर्भः– मेरा आवेदन पत्र दिनांक 05/01/2026 एवं जनसूचना अधिकारी का पत्र क्र. 12/सू.अधि/2026 नवा रायपुर अटल नगर 12/01/2026

माननीय महोदय जी,

अपीलार्थी द्वारा दिनांक 05/01/2026 को आपके विभाग के जनसूचना अधिकारी (अधीक्षक) विधिक माप विज्ञान नवा रायपुर के समक्ष सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। (संलग्न पत्र) जो कि चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य से सीधे संबंधित है। जनसूचना अधिकारी (अधीक्षक) द्वारा चाही गई सूचना हेतु समस्त जनसूचना अधिकारी सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान छत्तीसगढ़ में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के नियम 3 के तहत जो लोक प्राधिकारी जिसको ऐसा आवेदन किया जाता है। ऐसे आवेदन या उसके ऐसे भाग को समूचित हो उसका अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित करेगा। (संलग्न पत्र क्र. 12 दिनांक 12–01–2026)

जनूसूचना अधिकारी, सहायक नियंत्रक जगदलपुर द्वारा पत्र क्र. 58 दिनांक 27.01.2026 को सूचना हेतु 3671 पृष्ठों की सूचना हेतु 7342 (सात हजार तीन सौ बयालीस) रुपये जमा करने हेतु पत्र जारी किया गया है । (संलग्न पत्र)

महोदय जी मेरे द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अलग–अलग 30 आवेदन पत्रों में चाही गई है (संलग्न पत्र)

जनसूचना अधिकारी (अधीक्षक) का पत्र क्र. 12 दिनांक 12–01–2026 के पालन में केवल जनसूचना अधिकारी सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान जगदलपुर का पत्र प्राप्त हुआ अन्य किसी भी जनसूचना अधिकारी सहायक नियंत्रक का पत्र आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रथम अपील का मुख्य आधार –

1– अपीलार्थी द्वारा छ.ग. राज्य के समस्त शासकीय व अशासकीय चिकित्सालयों में उपयोग किए जा रहे इलेक्ट्रॉनिक तौल उपकरणों का निरीक्षक द्वारा सत्यापन कर सत्यापन प्रमाण पत्र एवं सुधारक द्वारा सुधार कार्य कर जारी किये गये सुधारक का पारिश्रमिक शुल्क हेतु जारी किये गये गेट पास (बिल बुक) की सत्यापित छायाप्रति जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक की सूचना चाही गई थी।

उक्त आवेदन के साथ नियमानुसार शुल्क भी संलग्न किया गया था (संलग्न पत्र)

2– जनसूचना अधिकारी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 7(1) के अन्तर्गत निर्धारित 30 दिवस की समय सीमा में सूचना प्रदान नहीं की गई है।

3– मांगी गई सूचना जन स्वास्थ्य से जुडी है क्योंकि चिकित्सालयों में उपयोग किये जा रहे इलेक्ट्रॉनिक तौल उपकरण का सत्यापन सीधे रोगी के उपचार, दवा की मात्रा एवं चिकित्सकीय निर्णय को प्रभावित करता है।

4– निरीक्षक द्वारा चिकित्सालयों में उपयोग होने वाले तौल उपकरणों का सत्यापन करना आवश्यक हो जाता है।

5– चाही गई सूचना को टालना या विखण्डन करना धारा 6(1) एवं धारा 7 का स्पष्ट उल्लंघन है।

6– जनसूचना अधिकारी का यह आचरण सूचना छुपाने का प्रयास प्रतीत होता है जो कि धारा 20 के अन्तर्गत दंडनीय है ।

माननीय महोदय से निवेदन है कि –

01– जनसूचना अधिकारियों द्वारा की गई सूचना में देरी को संज्ञान में लेते हुए सम्पूर्ण सूचना एक साथ उपलब्ध कराने का आदेश पारितर किया जाय।

02– सूचना सम्पूर्ण सत्यापन प्रमाण पत्र एवं सुधारक द्वारा जारी गेट पास निःशुल्क उपलब्ध कराई जाय क्योंकि विलम्ब विभाग के कार्यालयों से हुआ है।

03– यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में चिकित्सा एवं जनहित में जुड़ी सूचनाओं में इस प्रकार भी लापरवाही न हो।

प्रति,

श्री देवेन्द्र भारद्वाज
नियंत्रक
विधिक माप विज्ञान
खण्ड ब अटल नगर
नवा रायपुर (छ.ग.) 492002
फोन नं. 0771-2511727

विषयः छ.ग. राज्य में समस्त शासकीय एवं अशासकीय चिकित्सालय में उपयोग होने वाले समस्त इलेक्ट्रानिक तौल उपकरणो का सत्यापन प्रमाण पत्र व सुधारक द्वारा जारी बिल बुक (गेट पास) जानकारी मांगी गई सूचना उपलब्ध न कराने व उपकरणो का सत्यापन नही करने के संबंध में शिकायत ।

महोदय,

मैं जितेन्द्र कुमार जायसवाल पता नेहरू नगर डिगमा अम्बिकापुर दिनांक 05.01.2026 को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत छ.ग. राज्य में समस्त शासकीय एवं अशासकीय चिकित्सालय में उपयोग होने वालेसमस्त इलेक्ट्रानिक तौल उपकरणो का विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा किये गये सत्यापन कार्य से संबंधित जानकारी चाही गई थी ।

मेरे द्वारा निरीक्षक, इलेक्ट्रानिक तौल उपकरणो का सत्यापन कर सत्यापन प्रमाण पत्र एवं सुधारक द्वारा सुधार कार्य कर जारी बिल बुक (गेट पास) की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था । (संलग्न आवेदन पत्र)

जन सूचना अधिकारी (अधीक्षक) द्वारा सूचना के आवेदन को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के नियम 3 के तहत अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित किया गया । (संलग्न पत्र क्र. 12 दिनांक 12.01.2026)

विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के तहत सभी तौल व नाप उपकरणो का समय-समय पर सत्यापन और मुद्रांकन अनिवार्य है छ.ग. मे यह सेवा

सार्वजनिक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत भी सुनिश्चित की गई है धारा (4) के अनुसार तौल उपकरण का सत्यापन एवं मुद्रांकन एक गारंटीकृत लोक सेवा है।

चाही गई सूचना छ.ग. राज्य में शासकीय एवं अशासकीय चिकित्सालय में उपयोग किये जा रहे इलेक्ट्रानिक तौल उपकरणो के सत्यापन व मुद्रांकन से संबंधीत है जिसमें जन सूचना अधिकारी द्वारा पत्र क्र. 12 दिनांक 12.01.2026 को समस्त जन सूचना अधिकारी सहायक नियंत्रक छ.ग. को अंतरित कर चाही गई सूचना सीधे आवेदक को निर्धारित समय अवधि में उपलब्ध करने हेतु कहा गया है ।

माननीय नियंत्रक महोदय जी,

जन सूचना अधिकारी सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान छ.ग. द्वारा प्रदान की गई सूचना क्रमशः कृपा अवलोकन करने का कष्ट करें–

1) जन सूचना अधिकारी सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान जगदलपुर का पत्र क्र. 58 दिनांक 27.01.2026 को सम्पूर्ण आवेदन हेतु 7342/- रू. जमा करने को कहा गया है मेरे द्वारा दिनांक 05.02.2026 को पत्र जन सूचना अधिकारी जगदलपुर से 30 अलग-अलग सूचना हेतु विवरण, कौनसी सूचना वास्तव में उपलब्ध है पत्र जारी किया गया है जिसे जन सूचना अधिकारी अधीक्षक को भी भेजा गया है सूचना हेतु आज दिनांक तक पत्र का जवाब नहीं मिला है । (संलग्न पत्र जगदलपुर से संबंधित)

2) जन सूचना अधिकारी सहायक नियत्रंक विधिक माप विज्ञान रायपुर का पत्र क्र. 91 दिनांक 05.02.2026 में चाही गई सूचना में 16870/- रू. जमा करने को कहा गया है । सूचना भ्रमक व अपूर्ण प्रदान की गई है । (संलग्न पत्र)

3) जन सूचना अधिकारी सहायक नियत्रंक विधिक माप विज्ञान दुर्ग का पत्र क्र. 116 दिनांक 09.02.2026 को 18106/- रू. शुल्क ज़मा करने को कहा गया है । सूचना भ्रमक व अपूर्ण प्रदान की गई है । (संलग्न पत्र)

4) जन सूचना अधिकारी सहायक नियत्रंक विधिक माप विज्ञान अम्बिकापुर का पत्र क्र. 60 दिनांक 10.02.2026 को चारी की गई सूचना सरगुजा संभाग के अंतर्गत समस्त शासकीय एवं अशासकीय चिकित्सालयो में उपयोग होने वाले समस्त इलेक्ट्रानिक तौल उपकरणो का सत्यापन जानकारी निरंक बताई गई है।

5) जन सूचना अधिकारी सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान रायगढ़ का पत्र क्र. 70 दिनांक 11.02.2026 को रायगढ़ संभाग की उक्त सूचना निरंक बताया गया है ।

6) जन सूचना अधिकारी सहायक नियत्रंक विधिक माप विज्ञान द्वारा सूचना के लिए कोई पत्र भी जारी नहीं किया गया है ।

माननीय नियंत्रक महोदय जी से निवेदन है कि-

1) मेरे द्वारा पूर्व में भी आपके समक्ष विभाग द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में शिकायत की गई है मेरे द्वारा की गई शिकायत पर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही का विवरण प्राप्त नहीं हुआ है । संलग्न पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें ।

2) शिकायत पत्र दिनांक 06.06.2025 एवं 06.11.2025 को छ.ग. विधिक माप विज्ञान (नाप तौल) निरीक्षको द्वारा लोन आटिकल (टेस्ट बाट माप तौल उपकरण) के सत्यापन कर सत्यापन की शासकीय राशि नहीं लिये जाने के संबंध में निरीक्षको द्वारा वर्ष 2021 से 2025 तक लोन आर्टिकल (टेस्ट बाट

माप तौल उपकरण) की सूचना अधूरी व भ्रामक प्रदान की गई है छ.ग. में सुधारको द्वारा अमानक (टेस्ट बाट माप) का उपयोग कर सत्यापन का कार्य किया गया है ।

2) जन सूचना अधिकारी सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान (छ.ग.) द्वारा चाही गई सूचना शासकीय व अशासकीय चिकित्सालयो में तौल मशीनो का सत्यापन निरंक बताया गया है एवं सूचना को समय सीमा में नहीं दीया गया है।

3) वर्ष 2025 में चिकित्सकीय तौल उपकरणो के सत्यापन नहीं करने से विभाग की जवाब देही पर अनुचित लापरवाही की छाप पड़ती है ।

4) चाही गई सूचना जन स्वास्थ्य से जुडी है क्योंकि चिकित्सालयो में उपयोग किये जा रहे इलेक्ट्रानिक तौल उपकरण का सत्यापन सीधे रोगी के उपचार, दवा की मात्रा एवं चिकित्सकीय निर्णय को प्रभावित करता है ।

5) जैसे प्रत्येक वर्ष विभाग द्वारा समय-समय पर शिविर का आयोजन कर मुद्राकन व सत्यापन का कार्य किया जाता है जन सूचना अधिकारी सहायक नियंत्रक व जन सूचना अधिकारी निरीक्षक द्वारा चिकित्सालयो में सत्यापन का कार्य कितने वर्ष से नहीं किया है कृपया इसकी भी जांच कराई जाय ।

6) चाही गई सूचना को निरंक बताकर सूचना को टालना या विखण्डन करना सूचना भ्रामक व अस्पष्ट प्रदान करना विभाग द्वारा की गई आवश्यक सत्यापन कार्य में लापरवाही को बताता है । विभाग द्वारा चिकित्सालयो में उपकरणो का नियमों के अनुसार सत्यापन नहीं किया गया है ।

उपरोक्त परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए जन सूचना अधिकारी सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान छ.ग. द्वारा सूचना की अनुपलब्धता के संबंध में आपसे शिकायत दर्ज करने की विनम्र प्रार्थना कर आपसे अनुरोध है कि कृपया

समस्त दस्तावेजो का अवलोकन कर अधिकारियो/कर्मचारियो के विरूद्ध की गई शिकायत पर उपयुक्त कार्यवाही कर एवं अनुरोधित दस्तावेज शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश जारी करने की कृपा करें ।

आशा है कि आप इस विषय को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करेंगे ।

धन्यवाद !

दिनांक- 09.03.2026

शीकायतकर्ता

जितेन्द्र कुमार जायसवाल
भारत सम्मान न्यूज नेटवर्क
नेहरू नगर डीगमा
अम्बिकापुर सरगुजा छ.ग.
मो.9424262547, 9303890212

प्रतिलिपिः-

1) माननीय मुख्यमंत्री महोदय, छ.ग. शासन ।
2) माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, छ.ग. शासन ।
3) श्रीमान सचिव, रिवेन्यु (राज.), छ.ग. शासन ।
4) श्रीमान सचिव, खाद्य एवं नागरीक आपूर्ति निगम, छ.ग. शासन ।
5) श्रीमान मुख्य सचिव, छ.ग. शासन ।
6) श्रीमान अशुतोष अग्रवाल, डायरेक्टर (लीगल मेट्रोलॉजी), कृषि भवन नई दिल्ली ।
7) श्रीमान संचालक, संचालनालय, छ.ग. शासन ।
8) श्रीमान जन सूचना अधिकारी सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान छ.ग. जगदलपुर, रायपुर, दुर्ग, अम्बिकापुर, रायगढ़, बिलसापुर की ओर प्रेषित ।

चि. कितपाल

प्रति,

माननीय राज्य सूचना आयुक्त महोदय
न्यायालय छ.ग. राज्य सूचना आयोग
नार्थ ब्लाक सेक्टर–19 अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर छ.ग. पिन 492002
फोन नं.–0771–2512108, ईमेल–siccg@nic.in

विषयः सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत द्वितीय अपील धारा 19(3) सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत ।

अपीलार्थी,

जितेन्द्र कुमार जायसवाल
बारत सम्मान न्यूज नेटवर्क
नेहरू नगर डीगमा अम्बिकापुर
सरगुजा (छ.ग.) 497001

4620 B
A/3631/2026
103371

प्रतिवादी

(1) जन सूचना अधिकारी
अधीक्षक
विधिक माप विज्ञान छग.
नवा रायपुर अटल नगर

(2) प्रथम अपीली अधिकारी
श्री बी.आर. सिदार
उप नियंत्रक विधिक माप विज्ञान
इन्द्रावती भवन खण्ड –ब
तृतीय तल अटल नगर नवा रायपुर
अटल नगर (छ.ग.) 492002, मो. 626147918

महोदय,

अपीलार्थी विनम्रतापूर्वक निम्नलिखित तथ्यानुसार आपके समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत करता हैः–

(1) **अपील का विवरण**–अपीलार्थी द्वारा दिनांक 05.01.2026 को जनसूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर छ.ग. राज्य में समस्त शासकीय एवं अशासकीय चिकित्सालयो में उपयोग होने वाले इलेक्ट्रानिक तौल उपकरणों के सत्यापन प्रमाण पत्र एवं सुधारक द्वारा जारी किये गये बिल बुक (गेट पास) की प्रमाणित छायाप्रति मांगी थी ।

(2) **अपील का आधार**– जन सूचना अधिकारी, सहायक नियंत्रक जगदलपुर द्वारा सूचना प्रदान करने के बजाय शुल्क के रूप में 7342 रूपये जमा करने हेतु पत्र जारी कर सूचना को विखंडित करने का प्रयास किया गया । इसके विरूद्ध अपीलार्थी के दिनांक 11.02.2026 को प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की ।

(3) **प्रथम अपीलीय अधिकारी की विफलता**–अधिनियम की धारा 19 (6) के अनुसार प्रथम अपीलीय अधिकारी को 30 से 45 दिनो के भीतर आदेश पारित करना अनिवार्य था । परन्तु आज दिनांक तक प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा न तो कोई सुनवाई की गई और न ही कोई आदेश पारित किया गया है ।

(4) **लोक स्वास्थ्य का विषय**–चाही गई जानकारी सीधे तौर पर जन स्वास्थ्य से जुडी है चिकित्सालयो में गलत माप–तौल रोगी के उपचार और दवा भी मात्रा को प्रमाणित कर सकता है जो कि अत्यंत संवेदनशील मामला है ।

(5) **धारा 7(1) एवं 7(6) का उल्लघन** –निर्धारित समय सीमा में सूचना न देना "माना हुआ इंकार" की श्रेणी में आता है । साथ ही चूंकि विभाग में सूचना देने में विलम्भ किया है अतः अब अधिनियम की धारा के तहत सूचना निशुल्क प्रदान की जानी चाहिए ।

शीघ्र सुनवाई हेतु प्रार्थना पत्र (आवेदन)

प्रति,

माननीय राज्य सूचना आयुक्त महोदय
न्यायालय छ.ग. राज्य सूचना आयोग
नार्थ ब्लाक सेक्टर–19 अटल नगर
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)492002

अपीलार्थी,

जितेन्द्र कुमार जायसवाल
भारत सम्मान न्यूज नेटवर्क
नेहरू नगर डीगमा अम्बिकापुर
जिला–सरगुजा (छ.ग.) 497001
मो.–9424262547,9303896212

विरूद्ध

1) **जन सूचना अधिकारी**
अधीक्षक (श्रीमती शिव कुमारी सैनिक)
विधिक माप विज्ञान (नाप तौल विभाग)
इन्द्रावती भवन, खण्ड–ब, तृतीय तल
अटल नगर नवा रायपुर (छ.ग.) 492002

2) **प्रथम अपीलीय अधिकारी**
श्री बी.आर. सिदार (उप नियंत्रक)
विधिक माप विज्ञान
इन्द्रावती भवन, खण्ड–ब, तृतीय तल
अटल नगर नवा रायपुर (छ.ग.) 492002

विषयः **द्वितीय अपील प्रकरण क्र. A/3631/2026/103371 की शीघ्र सुनवाई करने हेतु आवेदन पत्र ।**

महोदय जी,

अपीलार्थी विनम्रतापूर्वक निम्नलिखित तथ्यानुसार आपके समक्ष शीघ्र सुनवाई करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है ।

1) प्रकरण–अपीलार्थी द्वारा नियमानुसार 05.01.2026 को अपने आवेदन विधिवत प्रस्तुत कर छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त शासकीय एवं अशासकीय चिकित्सालयो में उपयोग होने वाले समस्त इलेक्ट्रानिक तौल माप उपकरणो का सत्यापन प्रमाण पत्र एवं सुधारक द्वारा जारी बिल बुक (गेट पास) की सत्यापित छायाप्रति जनवरी 2025 से 31 दिसम्बर 2025 तक चाही गई थी।

2) जनहित एवं स्वास्थ्य से जुड़ा विषय–माननीय न्यायालय राज्य सूचना आयोग महोदय जी आवेदक द्वारा चाही गई सूचना सीधे तौर से जन स्वास्थ्य से जुड़ी है चिकित्सालयो में उपयोग होने वाले तौल बाट माप इलेक्ट्रानिक तौल उपकरण में गलत माप तौल से रोगी के उपचार और दवाई की मात्रा को प्रभावित कर सकता है ।

3) विधिक माप विज्ञान के अनुसार– प्रत्येक बाट माप तोल इलेक्ट्रानिक यंत्रो का प्रतिवर्ष नियमानुसार मुद्राकन एवं पुनः सत्यापन किया जाना आवश्यक है छत्तीसगढ़ राज्य में समस्त निरीक्षको द्वारा शासकीय व अशासकीय चिकित्सालयो में उपयोग होने वाले माप तौल उपकरणो का सत्यापन नहीं करने वाले निरीक्षक एवं जन सूचना अधिकारी अधीक्षक द्वारा चाही गई सूचना "निरंक" बताना कर्तव्यो का पालन नहीं करने सूचना जान बूझकर नहीं देने हेतु संबंधित कार्यवाही हेतु शीघ्र सुनवाई की जाय ।

प्रार्थना–

माननीय आयोग से विनम्र प्रार्थना है कि मेरे आवेदन दिनांक 07.08.2026 अपील प्रकरण A/3631/2026/103371 पर शीघ्र सुनवाई करने व अत्यंत संवेदनशील मामले में निरीक्षको द्वारा कर्तव्यों का पालन नहीं करने, सूचना जानबूझकर नहीं देने हेतु संबंधित को नियमानुसार कार्यवाही के आदेश एवं सत्यापन कार्य नहीं होने से शासन को हुई शासकीय हानि विगत कितने वर्षो से कि जा रही है प्रकरण पर संज्ञान लेकर शीघ्र सुनवाई करने की कृपा करें ।

दिनांक– 11-9-2026

संलग्नः–

1) प्रकरण क्र. A/3631/2026/103371

अपीलार्थी

जितेन्द्र कुमार जायसवाल
भारत सम्मान न्यूज नेटवर्क
नेहरू नगर डीगमा
अम्बिकापुर सरगुजा (छ.ग.) 497001
मो.–9424262547, 9303890212

प्रार्थनाः-

माननीय राज्य सूचना आयोग से निवेदन है किः-

(1) प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जन सूचना अधिकारी को तत्काल समस्त जानकारी निशुल्क उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया जाय ।

(2) सूचना छिपाने और विलंब करने के कारण दोषी अधिकारी पर धारा 20 (1) के तहत दंड आरोपित किए जाय ।

दिनांक-..07..05..2026

संलग्नः-

1) मूल आवेदन ।
2) जन सूचना अधिकारी द्वारा जारी किये गये पत्रो की प्रति ।
3) प्रथम अपील की प्रति ।
4) द्वितीय अपील की तीन प्रति ।
5) द्वितीय अपील हेतु पोस्टल आर्डर क्र.- 50H572921

अपीलार्थी

जितेन्द्र कुमार जायसवाल
भारत सम्मान न्यूज नेटवर्क
नेहरू नगर डीगमा
अम्बिकापुर सरगुजा (छ.ग.) 497001
मो.-9424262547, 9303890212